



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27022021-225519
CG-DL-W-27022021-225519

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 05] नई दिल्ली, फरवरी 14, —फरवरी 20, 2021, शनिवार/ माघ 25— फाल्गुन 1, 1942
No. 05] NEW DELHI, FEBRUARY 14, —FEBRUARY 20, 2021, SATURDAY/MAGHA 25 —PHALGUNA 1, 1942

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

आ.अ. 9.— यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे तालिका के स्तंभ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2018 में तालिका के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, जो तालिका के स्तंभ (3) में अपने नाम के सामने निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़े थे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों और आदेश के अन्तर्गत यथापेक्षित रीति जैसा कि उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शाया गया है, से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और

यतः, उक्त अभ्यर्थियों ने निर्वाचन आयोग द्वारा सम्यक् नोटिस दिए जाने के बावजूद, उक्त विफलता के लिए कोई कारण व स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उक्त विफलता के लिए उनके पास कोई उपयुक्त या न्यायोचित कारण नहीं है;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10-क के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, अद्योलिखित सारणी के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य के रूप में चुने जाने या सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित करता है:-

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचनों का विवरण	निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं. व नाम	निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी का नाम तथा पता	निरर्हिता का कारण
1	2	3	4	5
1.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	12-खाजूवाला (अ.जा.)	श्री मिटू सिंह, 1795 क, साई कॉलोनी, खाजूवाला।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
2.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	22-चूरू	श्रीमती उषा राठौड़ 1202, उनियारो का रास्ता चांदपोल बाजार, जयपुर-1	विधि अनुसार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
3.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	30-उदयपुरवाटी	श्री कृष्ण कुमार, ग्राम-लुहारदेरा, पोस्ट-बिरामपुर, तहसील-तिजारा, जिला-अलवर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
4.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	30-उदयपुरवाटी	श्री भीम सिंह, पावर हाउस के पास गांव छावसरी, तहसील-उदयपुरवाटी, जिला-झुन्झुनू (राज.)	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
5.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	46-झोटवाडा	श्री दिलीप कुमार शर्मा (सिरसी) प्लॉट न. 73 राधा विहार कालोनी, सिरसी, जयपुर-302012 (राज0)	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
6.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	53-आदर्श नगर	श्री अब्दुल अजीज (बब्बी), 1981, गीजगढ़ ठाकुर की हवेली, जयपुर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
7.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	61-मुण्डावर	श्री आनन्द यादव, ग्राम व पोस्ट-सानोली, तहसील-मुण्डावर, जिला-अलवर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
8.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	63-बानसूर	श्री ओमप्रकाश गुर्जर, ग्राम पोस्ट बिलाली, तहसील-बानसूर, जिला-अलवर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
9.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	63-बानसूर	श्री कुलदीप शर्मा, ए-35 शक्ति नगर, साहब जोहड़ा, जिला-अलवर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
10.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	63-बानसूर	श्रीमती मीरा बाई, ग्राम मुण्डावरा, तहसील थानागाजी, जिला-अलवर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
11.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	70-कामां	श्री बाल किशन, मण्डी बाजार, कामां, भरतपुर	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
12.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	73-भरतपुर	श्री योगेश, ग्राम लुहादेरा, पोस्ट बिरामपुर, तहसील-तिजारा, जिला-अलवर (राज0)	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।

13.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	74-नदबई	श्री राजवीर सिंह ग्राम हींगोली, पोस्ट महरावर, तहसील कुम्हेर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
14.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	76-बयाना (अ.जा.)	श्री मिश्री प्रसाद कोली, पठान पाडा, वन विभाग के सामने, बयाना।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
15.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	116-जैतारण	श्री लादूसिंह, माली गली, बाकली, तहसील सुमेरपुर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
16.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	118- पाली	श्री मोहम्मद अली, 4479, खेतानाड़ी, वार्ड नम्बर 54, तहसील जोधपुर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
17.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	119-मारवाड़ जंक्शन	श्री अमरसिंह, 41, तालका पो0 जाइन, तहसील- मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
18.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	119-मारवाड़ जंक्शन	श्री देवाराम, 54, देवासियों का बास, गाँव सांडिया, तहसील-सोजत, जिला- पाली।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
19.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	143-भीनमाल	श्रीमती नन्दा देवी, 49, निर्माण विहार-1, सेक्टर-2, विद्याधर नगर, जयपुर।	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।
20.	विधान सभा साधारण निर्वाचन, 2018	144-सांचोर	डॉ. बुधाराम विश्वोई, 577, धेतवाल्लों की ढाणी, जैराल, खारा, तहसील-सांचोर, जिला जालोर (राज.)	निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे।

[फा. सं. 76/राज.-वि.स./2018]

आदेश से,

राहुल शर्मा, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA**ORDER**

New Delhi, the 16th February, 2021

O.N. 9.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2018 as specified in Column (2) held from the constituency specified in column (3) against his/her name, has failed to lodge an account of election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951 and Rules and Order made there under; as shown in column (5) of the said Table; and

Whereas, the said candidates have not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice and the Election Commission is thus satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the table below to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order: -

TABLE

Sr. No.	Particulars of Election	No. and Name of Constituency	Name and address of contesting candidate	Reasons for disqualification
1.	2.	3.	4.	5.
1.	General Election to the Legislative Assembly, 2018	12- Khajuwala (SC)	Sh. Mithu Singh, House No. 1795 K, Sai Colony Khajuwala.	Failure to lodge account of election expenses.
2.	-do-	22-Churu	Smt. Usha Rathore, 1202, Uniyaro ka Rasta Chandpol	Failure to lodge account of election expenses in the

			Bazar, Jaipur-1	Manner as required by law.
3.	-do-	30- Udaipurwati	Sh. Krishan Kumar, Gram-Luhadera, Post-Birampur, Teh- Tijara, Distt. Alwar.	Failure to lodge account of election expenses.
4.	-do-	30- Udaipurwati	Sh. Bhima Singh, Power House Ke Pas Gaon- Chhavasari, Tehsil-Udaipurwati, Distt.-Jhunjhunu (Raj.)	Failure to lodge account of election expenses.
5.	-do -	46-Jhotwara	Sh. Dileep Kumar Sharma (Sirsi) Plot No. 73 Radha Vihar Collony Sirsi Jaipur-302012 (Rajasthan)	Failure to lodge account of election expenses.
6.	-do -	53-Adarsh Nagar	Sh. Abdul Aziz (Babbie), 1981, Geejgarh, Thakur ki Haweli, Jaipur.	Failure to lodge account of election expenses.
7.	-do-	61- Mundawar	Sh. Anand Yadav, VPO-Sanoli, Tehsil-Mundawar, District-Alwar.	Failure to lodge account of election expenses.
8.	-do-	63-Bansur	Sh. Omprakash Gurjar, Village Post Bilali, Tehsil- Bansur, District –Alwar.	Failure to lodge account of election expenses.
9.	-do-	63-Bansur	Sh. Kuldeep Sharma, A-35 Shakti Nagar Sahab Johada, District-Alwar	Failure to lodge account of election expenses.
10.	-do-	63-Bansur	Smt. Meera Bai, Village Mundawara, Tehsil- Thanagazi, District-Alwar	Failure to lodge account of election expenses.
11.	-do-	70-Kaman	Sh. Bal Kishan, Mandi Bazaar, Kaman, Bharatpur	Failure to lodge account of election expenses.
12.	-do-	73- Bharatpur	Sh. Yogesh, Village Luhadera Post Birampur, Tehsil Tijara, Distt. Alwar (Raj.)	Failure to lodge account of election expenses.
13.	-do-	74-Nadbai	Sh. Rajveer Singh, Vill-Heengoli, Post-Maharawar, Tehsil-Kumher	Failure to lodge account of election expenses.
14.	-do-	76-Bayana (SC)	Sh. Mishri Prasad Koli, Pathan Pada, Van Vibhag ke Samane, Bayana.	Failure to lodge account of election expenses.
15.	-do-	116-Jaitaran	Sh. Ladusingh, Mali Gali, Bankli, Tehsil, Sumerpur	Failure to lodge account of election expenses.
16.	-do-	118-Pali	Sh. Mohammed Ali, 4479, Khetanadi, Ward No. 54, Tehsil Jodhpur.	Failure to lodge account of election expenses.
17.	-do-	119-Marwar Junction	Sh. Amarsingh, 41, Talka Post Jadan, Tehsil- Marwar Junction, District-Pali.	Failure to lodge account of election expenses.
18.	-do-	119-Marwar Junction	Sh. Devaram, 54, Devasiyo ka Bas, Village- Sandiya, Tehsil-Sojat, Dist.- Pali.	Failure to lodge account of election expenses.
19.	-do-	143-Bhinmal	Smt. Nanda Devi, 49, Nirman Vihar-1, Sector-2, Vidhyadhar Nagar, Jaipur.	Failure to lodge account of election expenses.
20.	-do-	144-Sanchore	Dr. Budharam Vishnoi, 577, Dhetaravalo Ki Dhani, Jairal, Khara Tehsil-Sanchore, Distt.-Jalore (Raj.)	Failure to lodge account of election expenses.

[F.No. 76/RJ-LA/2018]

By Order,

RAHUL SHARMA, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

आ.अ. 10.— यतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य से लोक सभा का साधारण निर्वाचन 2019 की घोषणा प्रेस नोट संख्या ईसीआई/प्रे.नो./23/2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के जरिए की गई थी । कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना की तारीख 23 मई, 2019 थी ।

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है

और यतः, 28-मुंगेर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन के परिणाम 23 मई, 2019 को घोषित किए गए थे । इस प्रकार, निर्वाचन व्यय के लेखे दाखिल करने की अंतिम तारीख 22 जून, 2019 थी;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर जिला, बिहार द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार द्वारा अपने दिनांक 29 जून, 2019 के पत्र सं. Exp-09/2019/(Part-28)-5873 के जरिए अग्रेषित दिनांक 16 जुलाई, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अजीत कुमार, जो बिहार के 28-मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं ।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर जिला, बिहार और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अजीत कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 4 फरवरी, 2020 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 4 फरवरी, 2020 के उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अजीत कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखे न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री अजीत कुमार द्वारा 27 फरवरी, 2020 को प्राप्त किया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती रसीद जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने दिनांक 22 सितम्बर, 2020 के पत्र सं० 796, मुंगेर के जरिए आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है ;

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, मुंगेर द्वारा अपने दिनांक 23 जुलाई, 2020 के पत्र सं० 390/निर्वा० के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अजीत कुमार ने आज की तारीख तक न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है । इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है ;

और यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजीत कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है,

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि :-

“यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति—

(i) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन

उपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है: तथा

(ii) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय

राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से

तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा घोषणा करता है कि बिहार राज्य के 28-मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार राज्य में लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले झारखण्ड मुक्ति मोर्चा अभ्यर्थी श्री अजीत कुमार, सा०-काला टोला, बरियारपुर ग्राम एवं थाना बरियारपुर, जिला-मुंगेर, बिहार, 811211, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है ।

[फा.सं. बिहार-लो०स०/पूर्व अनु०-1/28/2019]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th February, 2021

O.N. 10.—WHEREAS, the General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 was announced by Election Commission of India vide Press Note No. ECI/PN/23/2019 dated 10th March, 2019. As per the schedule, Date of Counting was 23rd May, 2019.

AND WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate has to lodge a true copy of his account of election expenses within 30 days with the District Election Officer, from the date of election of returned candidate;

AND WHEREAS, the result of the said election was declared by the concerned Returning Officer including 28-**Munger** Parliamentary Constituency on 23rd May, 2019. As such the last date for lodging of account of election expenses was 22nd June, 2019.

AND WHEREAS, as per the report dated 29th June, 2019 submitted by the District Election Officer, Munger District, Bihar and forwarded by Chief Electoral Officer, Bihar vide letter No.Exp-09/2019(Part-28)-5873, dated 16th July, 2019, **Shri Ajit Kumar**, Jharkhand Mukti Morcha contesting candidate from 28-**Munger** Parliamentary Constituency of Bihar, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, Munger District, Bihar and the Chief Electoral Officer, Bihar, a Show Cause Notice, dated 4th February, 2020 was issued by Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Ajit Kumar** for non-submission of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule(5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice, dated 4th February, 2020, **Shri Ajit Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non-submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Ajit Kumar** on 27th February, 2020. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by District Election Officer, Munger vide his letter No.796 dated 22nd September, 2020.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by District Election Officer, Munger vide his letter No.390/fu0 dated 23rd July, 2020 has stated that **Shri Ajit Kumar**, has not submitted any representation or his account of election expenses, duly signed along with original vouchers etc. till date. Further, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Ajit Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person:

- (a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act, and
- (b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ajit Kumar, resident of Village-Kala Tola, Bariyarpur Post+P.S.-Bariyarpur, District-Munger, Bihar 811211** and the contesting Jharkhand Mukti Morcha candidate for General Election to Lok Sabha of Bihar, 2019 from 28-**Munger** Parliamentary Constituency of the state of Bihar to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Parliamentary or legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

[F. No.BR-HP/ES-I/28/2019]

By Order,

SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2021

आ.अ. 11.— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री बलदेव सिंह, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री एस. एम. देशपांडे, आई. ए. एस. (एम एच: 1991) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए महाराष्ट्र राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री एस. एम. देशपांडे, महाराष्ट्र सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री एस. एम. देशपांडे, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र के रूप में कार्य करते हुए महाराष्ट्र सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/MH/2021-P.Admn.]

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 9th February, 2021

O.N. 11.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Maharashtra hereby designates Shri S. M. Deshpande, IAS (MH:1991) as the Chief Electoral Officer for the State of Maharashtra with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Baldev Singh, IAS.

2. Shri S. M. Deshpande shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Maharashtra, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri S. M. Deshpande while functioning as the Chief Electoral Officer, Maharashtra shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Maharashtra except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F.No.154/MH/2021-P.Admn.]

By Order,

B.C. PATRA, Secy.